न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आरएएस

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 34/2022

जगप्रीत पुत्र बलविन्द्र सिंह 'जरिये माता सुखजीत कोर पत्नि बलविन्द्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 6 एल एन पी कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र मोठा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 6 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगगांनगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम सुथार अधिवक्ता	प्रार्थी
2. श्री मदन यादव अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या–1
3. पैरोकार राज	अप्रार्थी – 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त अनवानी वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा चुका है जिसके सफल होने की प्रबल सम्भावना है वाद मे दर्ज तथ्यो को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यो के रूप मे पढा जावे। अप्रार्थी स० 1 प्रार्थी का पिता है जिसके नाम से राजस्व रिकार्ड मे भूमि दर्ज है और अप्रार्थी स० 1 के हिस्से प्रार्थी की दादी सुरजीत कोर पत्नि मोठा सिंह के देहात के बाद कृषि भूमि आयी है जिसका विवरण अंकित है। वाके चक 6 एल एन पी के खाता संख्या 132/60 के मुरबा नम्बर 12 के किला न0 6, 7, 14 ता 17,24, 25 मे कुल 2.0240 हैक्टेयर मे से प्रार्थी के पिता अप्रार्थी स० 1 का हिस्सा 169/2024 व प्रार्थी की दादी सुरजीत कोर पत्नि मोठा सिंह का हिस्सा 30/253 जो कि प्रार्थी की दादी को प्रार्थी के दादा मोठा सिंह से हिस्सा प्राप्त हुआ है और प्रार्थी की दादी सुरजीत कोर का देहात हो गया है ओर सुरजीत के देहात के बाद उपरोक्त जमीन अप्रार्थी स० 1 को प्राप्त हुयी है जो कि हिस्सा 30/253 है जिसमे मे प्रार्थी का हिस्सा उपरोक्त दोनो जमीनो मे बहिस्सा बराबर बराबर है और जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी 01 के नाम से उसका हिस्सा 169/2024 खातेदार दर्ज है और प्रार्थी की दादी सुरजीत कोर के नाम से उनका हिस्सा 30/253 दर्ज है जो कि जमावन्दी की नकल सलग्न वाद पत्र है। अप्रार्थी स० 1 को उपरोक्त जमीन विरासतन प्राप्त हुयी है जिसमे प्रार्थी का जन्म सिद्ध अधिकार है उपरोकत जमीन अप्रार्थी स० 1 की पैतृक सम्पति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

है ओर सयुक्त परिवार की है। देहात हो चुका है और उनका हिस्सा पेतृक रूप से प्राप्त होने के कारण प्रार्थी की दादी सुरजीत कौर का भी 30/253 प्रार्थी के दादा मोठा सिह को उपरोक्त सम्पति पैतृक है और प्रार्थी की दादी सुरजीत कोर का देहात हो चुका है जो कि प्रार्थी के दादा मौठा सिह से एक मात्र पुत्र अप्रार्थी स० 1 हुआ था ओर प्रार्थी की दादी की मृत्यु के बाद उपरौकत जमीन अप्रार्थी स० 1 को प्राप्त हुयी है परन्तु जान बूझकर अपने नाम से लालचवंश इंतकाल नही करवाया जा रहा है क्योकि प्रार्थी बहिस्सा बराबर का हकदार है परन्तु अप्रार्थी स01 के द्वारा प्रार्थी की माता का परित्याग किया हुआ है और अप्रार्थी स01 प्रार्थी की दादी सुरजीत कोर के पूर्व पति के पुत्र जसवीर सिंह व उसकी पत्नि के नाजायज प्रभाव मे है और दादी की सम्पति की जिस पर उनका कोई हक व अधिकार नही है ओर उनके प्रभाव मे होने के कारण उनको नाजायज रूप से देने पर आबद्ध है ओर पूर्व मे भी दादी सुरजीत कोर के हिस्से मे से एक बीघा जमीन का बयान हीरालाल को करवाकर उनके मिली राशि को बदरबाट कर ली गयी। उपरोक्त जमीन मे से बहिस्सा प्रार्थी बराबर प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि उपरोक्त जमीन सयुक्त हिन्दू परिवार की है ओर दादी सुरजीत कोर के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की गयी थी और दादी सुरजीत कौर से प्रात्त हुआ हिस्सा 30/253 मे से 1/2 हिस्सा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी अपने नाम से दर्ज भूमि व दादी से प्राप्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की फिराक मे है ओर पूर्व मे भी दादी से एक बीघा जमीन का बेचान करवाया जा चुका है ओर उपरोक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थी का जन्म सिद्ध अधिकार है । अप्रार्थी स० 1 नशा करने का आदि है हर समय नशे मे डूबा रहता है ओर जसवीर सिह व उसकी पत्नि के नाजायज प्रभाव मे है और नाजायज रूप से उपरोक्त भूमि मे से प्रार्थी को रजिशवंश वचित करना चाहते है जबकि अप्रार्थी स० 1 को उपरोक्त सम्पति से प्रार्थी को वचित करने का कोई हक व अधिकार नही है ओर अप्रार्थी स01 उपरौकत सम्पति को जसवीर सिंह व उसकी पत्नि के नाजयज प्रभाव में आकर किसी अन्य को बेचने की फिराक मे है जबकि प्रार्थी को विरासतन सम्पति होने के कारण व प्रार्थी का हिस्सा बराबर होने के कारण अप्रार्थी स० 1 को कोई हक व अधिकार नही है ओर प्रार्थी के द्वारा जरिये कुदरती वलिया कई बार अपने हिस्से की माग कई बार अप्रार्थी स01 से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने की गयी परन्तु अप्रार्थी स० 1 आश्वासन देकर टालता रहा ओर अब दिनांक 16–3–2022 को स्पष्ट इन्कार हो गया है। वादग्रस्त भूमि पैतृकव सयुक्त हिन्दू परिवार की है वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के नाम से है ओर अप्रार्थी प्रार्थी को नुकसान पहुचाने के लिए वादग्रस्त भूमि को रहन बैय, व अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण के प्रयास में है ऐसी सूरत मे प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी चक 6 एल एन पी के खाता सख्या 132/60 के मुरबा नम्बर 12 के किला न0 6, 7, 14ता 17,24, 25 मे कुल 2.0240 हैक्टेयर मे से अप्रार्थी स० 1 का हिस्सा 169/2024 व प्रार्थी की दादी सुरजीत कोर पत्नि मोठा सिह का हिस्सा 30/253 जो कि प्रार्थी की दादी को प्रार्थी के दादा मोठा सिह से हिस्सा प्राप्त हुआ है और सुरजीत कौर के देहात के बाद अप्रार्थी ही उस जमीन का मालिक है उक्त भूमि को रहन बैय, वसीयत, या अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अत स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दौराने दावा प्रार्थी के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी चक 6 एल एन पी के खाता संख्या 132/60 के मुरबा नम्बर 12 के किला न0 6, 7, 14ता 17,24, 25 मे कुल 2.0240 हैक्टेयर मे से अप्रार्थी स० 1 का हिस्सा 169/2024 व प्रार्थी की दादी सुरजीत कौर पत्नि मोठा सिह का हिस्सा 30/253 जो कि प्रार्थी की दादी को प्रार्थी के दादा मोठा सिह से हिस्सा प्राप्त हुआ है और सुरजीत कौर के देहात के बाद अप्रार्थी ही उस जमीन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

का मालिक है उक्त भूमि मे से प्रार्थी की हिस्सा की भूमि को रहन बैय, वसीयत, या अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिमसें अंकित तथ्यानुसार** वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश हो चुका है शेष तथ्य असस्वीकार है। वाद पत्र को प्रार्थना पत्र का आधार मानकर नहीं पढ़ा जा सकता क्योकि दोनों अलग–अलग दर्ज होते है। क्योंकि सुरजीत कौर के हिस्सा की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पास नहीं आई है। वाद पत्र का आधार बनाने के लिए गलत तथ्य अंकित किए गए है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है क्योकि सुरजीत कौर से अप्रार्थी संख्या 1 से कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में अभी भी भूमि सुरजीत कौर के नाम है सुरजीत कौर की कृषि भूमि के अन्य वारिसान भी है जिन्हें पक्षकार बनाये बिना किसी भी पक्षकार का व्यक्ति का हिस्सा सुनिश्चत नहीं किया जा सकता है इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में अंकित तथ्य विरास्तन भूमि आई से कोई विरोध नहीं है लेकिन उक्त तमाम कृषि भूमि पर वादी का हक व निश्चित अधिकार नहीं है । अप्रार्थी संख्या 1 सुरजीत कौर का एक मात्र वारिस नहीं है और ना ही अप्रार्थी संख्या 1 जसवीर सिंह व उसकी पत्नी के नाजायज प्रभाव में है। सुरजीत कौर के हिस्सा की भूमि के बेचान का कथन भी गलत होने के कारण अस्वीकार है। जब तक सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जाता तब तक हिस्सा निश्चत नहीं हो सकता, प्रार्थी के द्वारा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है इसी स्तर पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 को अभी सुरजीत कौर से कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण अस्वीकार है प्रार्थी के द्वारा केवल प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत तथ्य अंकित किए गए है जो कि अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण अस्वीकार है। जब तक भूमि का इंतकाल वारिसों में नहीं हो जाता तब तक भूमि को रहन–बैय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में अंकित तथ्य गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार है प्रार्थी को किसी प्रकार से अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। अतिरिक्त कथन– 11. यह कि प्रार्थी के द्वारा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है वास्तविकता यह है कि सुरजीत कौर अपने पहले पति के पुत्र के साथ रहती थी जिससे उसका स्नेह था वह ही उसकी देखभाल व भरण पोषण करता था तथा वही जमीन पर काश्त करता था व आज भी उसी के कब्जा में है अप्रार्थी संख्या 1 का सुरजीतसिंह की भूमि पर कोई दखल ही नहीं है। प्रार्थी व उसकी माता सुरजीत कौर के हिस्सा की सम्पति को हड़प करना चाहते है जिस उदेश्य की पूर्ति के लिए उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि भारी हर्जाना के साथ खारिज किया जावे । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों व आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाये जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र भारी हर्जाना के साथ खारिज किया जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी श्री बलराम सुथार द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किए कि वादग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद है यह तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए में अप्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। यदि प्रतिवादी वादी को हिस्सा को रहन बैय मुंतकिल करने में सफल हो जाता हैं तो इससे आयन्दा मुकदमें बाजी बढेगी, वादी को अपूर्णिय क्षति होगी और वादी द्वारा दावा पेश करने का मकसद समाप्त हो जायेगा। ऐसी सूरत में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक स्थगन जारी किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का विधि के आलोक में मनन किया। वादग्रस्त भूमि जमाबंदी चक 6 एलएन पीतहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 132/60 के मुरब्बा नम्बर 12 की 2.0240 हैक्टयर भूमि वादी के पिता बलविन्द्र सिंह पुत्र मोठा सिंह 169/2024 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि की घोषणा अथवा हिस्सा का निर्धारण वाद के अन्तिम निर्णय पश्चात् ही होना है। वादग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद है यह तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए में अप्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 169/2024 हिस्सा एवम् प्रार्थी की दादी सुरजीत कौर पत्नि मोठा सिह का हिस्सा 30/253 भूमि विरास्तन होने से उक्त भूमि में प्रार्थी का हक व हिस्सा बनता है। उपरोक्त तथ्यों एवं प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 6 एल एन पी के खाता संख्या 132/60 के मुरबा नम्बर 12 के किला न0 6, 7, 14 ता 17,24, 25 मे कुल 2.0240 हैक्टेयर में से अप्रार्थी स० 1 का हिस्सा 169/2024 व प्रार्थी की दादी सुरजीत कौर पत्नि मोठा सिह का हिस्सा 30/253 में से प्रार्थी की हिस्सा की भूमि को अप्रार्थी रहन बैय, वसीयत, या अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 44/2022 बअनवान जगप्रीत बनाम बलविन्द्र सिंह रहे।

आदेश आज दिंनाक 26.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

Scanned with CamScanner